भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4712
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

पीएमएमवी योजना की महिला लाभार्थी

4712. **श्री संतोष पांडेय:**
डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या जिलावार कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान आवंटित धनराशि का विशेषकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अंतर्गत विशेष रूप से देश के आकांक्षी जिलों में महिलाओं को विशेष सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत और गर्भवती महिलाओं को शामिल करने तथा उन्हें अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना की सफलता/प्रभावों पर कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उक्त योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): दिनांक 01.01.2017 से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के

अधिकारियों के माध्यम से आकांक्षी जिलों सहित पूरे देश में (ओडिशा और तेलंगाना को छोड़कर) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है, जिससे एक महिला को औसतन 6,000 रुपये मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो।

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों,भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और वितरित राशि का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के लिए नामांकित लाभार्थियों, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और वितरित की गई राशि का जिला-वार आंकड़ा **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लिए नामांकित लाभार्थियों, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और वितरित की गई राशि का जिला-वार आंकड़ा **अनुलग्नक- III** में दिया गया है।

दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से व्यापक मिशन शक्ति योजना की शुरुआत के साथ, पहले बच्चे के लिए किस्तों की संख्या तीन (3) से घटाकर दो (2) कर दी गई है। इसके अलावा, पीएएमवीवाई के तहत, दूसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व लाभ दिया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा बालिका हो। योजना में संशोधन के परिणामस्वरूप, एक नया पोर्टल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाईसॉफ्ट) तैयार किया गया और मार्च, 2023 में लॉन्च किया गया। पीएमएमवीवाईसॉफ्ट के अंतर्गत, यूआईडीएआई के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण डिजिटल रूप से किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है ताकि धनराशि सीधे लाभार्थियों के केवल डीबीटी-सक्षम आधार-सीडेड बैंक या डाकघर खातों में अंतरित की जा सके।

पीएमएमवीवाई देश के 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है और तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई को कार्यान्वित नहीं कर रही है। 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना महिला एवं बाल विकास विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के स्तर पर आवेदन पंजीकृत किए जाते हैं और उसके बाद पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और राज्य नोडल अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई की जाती है। यह योजना पांच राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जहां मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (आशा) के स्तर पर आवेदन पंजीकृत किए जाते हैं और उसके बाद सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), चिकित्सा अधिकारी और राज्य नोडल अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई की जाती है। पीएमएमवीवाई के तहत पंजीकरण, कार्रवाई और दिन-प्रतिदिन की निगरानी संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की जाती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय निधियां समय पर की जारी की जाती हैं, बशर्ते वे राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में उपलब्ध निधियों का समय पर उपयोग करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीएमएमवीवाई योजना के तहत लाभार्थियों के भुगतान को मंजूरी देने का नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है।

इसके अलावा, आवेदन की तत्काल स्थिति और स्थान दिखाने के लिए पीएमएमवीवाई पोर्टल पर एक 'ट्रैक एंड सर्च' सुविधा उपलब्ध है जिसकी सहायता से लाभार्थी अपने आवेदन और भुगतान की स्थिति का पता लगा सकता है। इसके अलावा, किसी भी लाभार्थी द्वारा पीएमएमवीवाई से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करने और ट्रैक करने के लिए एक शिकायत निवारण मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया है।

मंत्रालय संकल्प- महिला सशक्तीकरण हब (एचईडब्ल्यू) योजना के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें मातृत्व लाभ पर आयोजित किए जाने वाले जारूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसमें विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी)संबंधी विभिन्न कार्यकलाप जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर प्रचार अभियान, सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय पीएमएमवीवाई के तहत, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए समय-समय पर विशेष अभियान भी चला रहा है।

****

‘पीएमएमवी योजना की महिला लाभार्थी ’ के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4712 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक- I

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक **(26.03.2025 तक)** पीएमएमवीवाई के तहत, नामांकित लाभार्थियों, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और वितरित की गई राशि दर्शाने वाला वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत लाभार्थी	भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी	वितरित की राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	7,812	7,276	3.36
2	आंध्र प्रदेश	13,85,172	13,64,274	627.98
3	अरुणाचल प्रदेश	31,982	26,337	12.06
4	असम	13,96,307	13,00,478	611.21
5	बिहार	43,21,223	37,88,297	1,710.64
6	चंडीगढ़	28,551	28,674	13.00
7	छत्तीसगढ़	9,34,770	10,26,373	425.62
8	दिल्ली	4,74,863	4,60,478	206.68
9	गोवा	27,174	26,510	11.52
10	गुजरात	13,49,183	13,26,737	539.99
11	हरियाणा	7,28,435	6,78,739	318.06
12	हिमाचल प्रदेश	2,56,109	2,39,443	113.88
13	जम्मू और कश्मीर	4,09,492	3,99,873	178.38
14	झारखंड	8,76,303	8,30,387	360.99
15	कर्नाटक	24,49,970	25,15,001	1,133.84
16	केरल	9,50,760	10,08,045	444.10
17	लद्दाख	6,867	7,160	3.14
18	लक्षद्वीप	2,626	2,552	0.93
19	मध्य प्रदेश	35,89,337	40,34,223	1,739.74
20	महाराष्ट्र	34,83,373	32,62,153	1,476.48
21	मणिपुर	82,525	76,184	36.75
22	मेघालय	70,682	63,149	28.79
23	मिजोरम	37,497	30,872	14.75
24	नागालैंड	46,284	41,257	20.21
25	पुद्दुचेरी	34,686	37,043	16.70
26	पंजाब	6,13,845	6,63,422	298.05
27	राजस्थान	21,52,167	24,83,211	1,003.55

28	सिक्किम	23,740	13,646	6.12
29	तमिलनाडु	18,21,694	18,41,192	818.28
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	20,830	20,508	8.99
31	त्रिपुरा	1,20,127	1,30,466	55.68
32	उत्तर प्रदेश	52,58,052	49,14,052	2,275.01
33	उत्तराखंड	3,72,257	3,61,388	156.06
34	पश्चिम बंगाल	20,23,829	13,28,657	610.89

नोट:

1. तेलंगाना सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है।
2. ओडिशा सरकार अपने राज्य में पीएमएमवीवाई योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।
3. भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या उक्त अवधि के दौरान नामांकित लाभार्थियों की संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों में पंजीकृत कुछ लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त हुआ है।
4. यह जानकारी पीएमएमवीवाई पोर्टल (https://pmmvy.wcd.gov.in) से ली गई है।

‘पीएमएमवी योजना की महिला लाभार्थी’ के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4712 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक- II

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 (26.03.2025 तक) तक पीएमएमवीवाई के तहत **उत्तर प्रदेश** के लिए नामांकित लाभार्थियों, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और वितरित की गई राशि का जिला-वार आंकड़ा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला	पंजीकृत लाभार्थी	भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी	वितरित की गई राशि (करोड़ रुपये)
1	आगरा	1,08,999	96,051	44.61
2	अलीगढ़	1,03,395	95,985	44.62
3	अम्बेडकर नगर	67,474	66,760	30.03
4	अमेठी	53,025	49,180	20.24
5	अमरोहा	48,463	46,721	21.94
6	औरैया	37,278	35,377	15.97
7	अयोध्या	67,336	63,584	28.45
8	आजमगढ़	1,03,170	97,520	44.22
9	बागपत	34,618	30,442	14.03
10	बहराइच	1,30,411	1,20,474	57.09
11	बलिया	80,210	77,980	36.10
12	बलरामपुर	68,642	59,230	29.36
13	बांदा	46,475	44,582	21.07
14	बाराबंकी	80,074	74,888	35.65
15	बरेली	1,28,226	1,19,901	56.15
16	बस्ती	74,458	67,859	30.65
17	भदोही	42,357	37,724	15.28
18	बिजनौर	1,08,736	1,02,170	50.72
19	शाहजहांपुर	81,622	76,000	33.68
20	बुलन्दशहर	79,288	77,113	35.52
21	चंदौली	49,721	44,800	20.11
22	चित्रकूट	33,512	32,070	15.04
23	देवरिया	77,218	76,730	35.13

24	एटा	41,512	35,846	15.30
25	इटावा	34,877	33,266	14.58
26	फर्रुखाबाद	53,405	50,978	23.44
27	फ़तेहपुर	49,292	46,037	20.00
28	फिरोजाबाद	62,030	56,430	25.13
29	गौतमबुद्ध नगर	41,865	38,590	18.17
30	गाजियाबाद	1,13,711	1,00,657	47.76
31	गाजीपुर	95,747	90,627	40.80
32	गोंडा	75,770	71,685	33.79
33	गोरखपुर	1,04,522	98,899	44.73
34	हमीरपुर	29,397	27,982	12.21
35	हापुड़	29,749	26,857	12.53
36	हरदोई	99,985	97,108	46.69
37	हाथरस	50,239	42,831	19.69
38	जालौन	47,714	44,598	20.50
39	जौनपुर	1,03,371	98,691	45.70
40	झांसी	48,413	45,609	20.34
41	कन्नौज	36,023	34,262	15.91
42	कानपुर देहात	49,365	45,847	21.06
43	कानपुर नगर	1,14,064	1,05,678	48.70
44	कासगंज	41,577	39,093	17.17
45	कौशांबी	52,329	48,398	23.78
46	खेरी	1,12,762	1,06,717	49.90
47	कुशी नगर	86,799	77,962	34.25
48	ललितपुर	36,790	33,886	15.52
49	लखनऊ	73,391	68,455	32.16
50	महाराजगंज	92,125	90,281	40.01
51	महोबा	26,817	25,192	12.37
52	मैनपुरी	47,179	43,393	19.24
53	मथुरा	56,501	53,261	23.76
54	मऊ	51,605	49,378	23.09
55	मेरठ	74,727	72,022	33.65
56	मिर्जापुर	73,596	69,879	32.65
57	मुरादाबाद	84,722	78,562	36.62
58	मुजफ्फरनगर	79,498	71,765	34.58
59	पीलीभीत	49,356	46,027	19.28
60	प्रतापगढ़	82,619	78,728	38.18

61	प्रयागराज	1,47,391	1,36,239	63.68
62	रायबरेली	59,907	58,540	27.64
63	रामपुर	81,675	74,192	35.87
64	सहारनपुर	96,512	95,843	47.17
65	संभल	47,705	46,003	22.02
66	संतकबीरनगर	48,872	46,617	21.80
67	शाहजहांपुर	1,03,836	1,00,567	46.85
68	शामली	44,534	40,947	20.06
69	श्रावस्ती	24,713	20,952	8.77
70	सिद्धार्थनगर	68,481	60,237	26.43
71	सीतापुर	1,25,521	1,18,457	59.56
72	सोनभद्र	47,033	40,524	17.71
73	सुल्तानपुर	66,291	65,017	30.07
74	उन्नाव	88,737	83,109	38.63
75	वाराणसी	98,692	88,190	39.85

नोट:

1. भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या उक्त अवधि के दौरान नामांकित लाभार्थियों की संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों में पंजीकृत कुछ लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त हुआ है।

2. यह जानकारी पीएमएवीवाईपोर्टल (https://pmmvy.wcd.gov.in) से ली गई है।

'पीएमएमवी योजना की महिला लाभार्थी' के संबंध में दिनांक 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4712 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अनुलग्नक- III

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक **(26.03.2025 तक)** पीएमएमवीवाई के तहत छत्तीसगढ़ के लिए नामांकित लाभार्थियों, भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और वितरित की राशि का जिला-वार आंकड़ा दर्शाने वाला विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत लाभार्थी	भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थी	वितरित की राशि (करोड़ रुपये)
1	बालोद	4,797	4,636	1.73
2	बलौदाबाजार	47,021	52,872	21.47
3	बलरामपुर	8,840	8,099	3.55
4	बस्तर	35,407	41,158	17.28
5	बेमेतरा	52,333	61,289	25.75
6	बीजापुर	23,775	28,880	11.55
7	बिलासपुर	21,910	24,042	10.40
8	दंतेवाड़ा	54,774	61,541	24.97
9	धमतरी	41,993	29,587	12.72
10	दुर्ग	34,745	40,018	16.60
11	गरियाबंद	23,718	25,604	10.53
12	गौरेला पेंड्रा मरवाही	6,466	5,826	2.30
13	जांजगीर-चांपा	16,991	19,209	7.17
14	जशपुर	40,441	44,946	17.88
15	कबीरधाम	13,957	13,662	5.74
16	कांकेर	38,366	47,251	18.56
17	खैरागढ़ छुईखदान गंडई	2,878	1,861	0.73
18	कोंडागांव	5,558	4,405	1.75
19	कोरबा	26,716	32,687	12.91
20	कोरिया	3,053	2,767	1.26
21	महासमुंद	46,798	51,742	22.83
22	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	75,217	82,510	35.10
23	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	53,603	59,010	25.39
24	मुंगेली	6,182	5,780	2.31
25	नारायणपुर	8,516	9,809	3.71
26	रायगढ़	7,057	7,454	3.14
27	रायपुर	28,368	34,655	13.54
28	राजननांदगांव	28,676	29,817	12.56

29	सक्ती	4,797	4,636	1.73
30	सारंगढ़ बिलाईगढ़	47,021	52,872	21.47
31	सुकमा	8,840	8,099	3.55
32	सूरजपुर	35,407	41,158	17.28
33	सरगुजा	52,333	61,289	25.75

नोट:

1. भुगतान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या उक्त अवधि के दौरान नामांकित लाभार्थियों की संख्या से अधिक हो सकती है क्योंकि पिछले वित्तीय वर्षों में पंजीकृत कुछ लाभार्थियों को अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान प्राप्त हुआ है।
2. यह जानकारी पीएमएमवीवाई पोर्टल (https://pmmvy.wcd.gov.in) से ली गई है।

*****